(52)

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

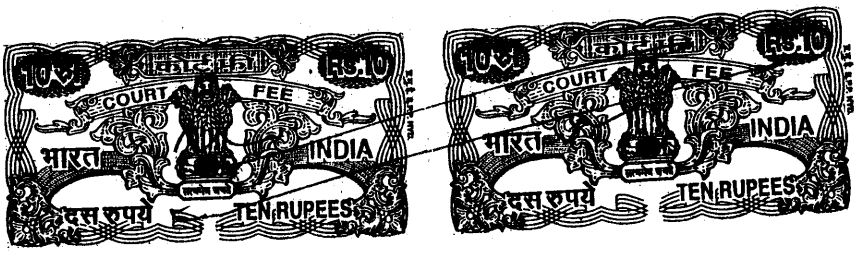

Rs. 20/-

R. 2424-III/14

397
21.7.14

शैलेन्द्र कुमार पटेल पिता सत्यनारायण पटेल उम्र 30 साल निवासी ग्राम पहरखा तहसील मनगवा जिला रीवा म०प्र० ... निगरानी कर्ता

बनाम

रामदेव पटेल पिताश्री भोला पटेल निवासी ग्राम पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म०प्र० .. गैर निगरानी कर्ता

श्री. संतोष कुमार सोनी एड के द्वारा आज दिनांक 21.7.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर

क्रमांक 2365 सर्किट कोर्ट रीवा
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज
दिनांक ______ को प्राप्त
21.7.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवासंभाग रीवा के रा.प्र.कृ. 1339/अपील 2011-12 आदेश दिनांक 01.07.2014 के विरूद्ध निगरानी ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू.रा.संहिता सन् 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त आधार निम्न है

यहकि आ.नं. 139 रकबा 0.943 एव 143 रकबा 0.154 हे० भूमि स्थित ग्राम मझपुरटिया ज.नं. 454 प०ह०-68 तहसील सिरमौर जिला रीवा के भूमि स्वामी स्व० विद्यार्थी प्रसाद पटेल थे, जिन्होने अपने जीवन काल मे उक्त भूमियो को रजिस्ट्री विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 25.7.1987 को मू० 24000/- रूपये मे निगरानी कर्ता को विक्री कर दिया था, जिसके आधार पर निगरानी कर्ता ने ग्राम पंचायत अकौरी जनपद पंचायत गंगेव के प्रस्ताव क्रमाक -8 निर्णय दिनाक 30.1.99 के परिप्रेक्ष्य मे नामान्तरण पंजी क्रमाक -3 के आधारपर अपने नाम नामान्तरण करा लिया था तबसे निगरानी कर्ता उक्त भूमियो मे काबिज

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2424–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–02–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1339/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक का 1/2 हिस्सा था। विकेता विद्यार्थी प्रसाद ने अकेले ही पूरी भूमि का विकय कर दिया है जिससे अनावेदक का हित प्रभावित हुआ है। सहखातेदार के बिना सहमति के उसके हक हिस्से की भूमि का विकय करना तथा उस विकय पत्र के आधार पर भूमि का केता के नाम नामांतरण करना अवैधानिक है। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के संबंध में अपनाई गई प्रकिया दोषपूर्ण है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित किया गया। इसी आधार अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील को खारिज किया है। अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	